कार्यालय वन वृत्त, शिवपुरी, मध्यप्रदेश

00 आदेश 00

क्रमांक / कैम्पा / 2021 / 193 शिवपुरी, दिनांक 1-9 -2021

मध्यप्रदेश बुक ऑफ फायनेंसियल पावर कमांक–जी / 17 / 1 / 95 सी.चार, दिनांक 5–10–1995 के वाल्यूम भाग–2 के कमांक–14बी के संशोधन अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वनमंडलाधिकारी शिवपुरी के पत्र कमांक / व्यय / 4415 दिनांक 17–8–2021 से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार सरकुला सिंचाई परियोजना हेतु 126.42 हैक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व वन परिक्षेत्र शिवपुरी के ग्राम टोंका में रोपण के अयोग्य राजस्व भूमि 126.500 हैक्टेयर सुरक्षित की गई है, जिसका घेराव किया जाना है एवं वन क्षेत्र में भी रोपण किया जाना है। इस हेतु 11 वर्षीय प्रोजेक्टों की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क.	परिक्षेत्र	स्थल का नाम	कक्ष क./ राजस्व क्षेत्र	क्षेत्रफल (हे.मे.)	परियोजना की कुल राशि
1	सतनबाड़ा	करियारा	पी. 885	50.000	21993864
2	करैरा	आसपुर	पी. 1057	50.000	21956406
3	करैरा	दांगीपुरा	आर. 432	27.000	13694841
4	शिवपुरी	टोंका	राजस्व क्षेत्र	126.500	10774614
			योग–	**253.500**	**68419725**

उपरोक्तानुसार दी गई तकनीकी स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे :–

1. अच्छी गुणवत्ता का कार्य किया जावे तथा निर्धारित जॉबदर / श्रमिक दर पर भुगतान किया जावे।
2. प्रत्येक स्थलवार कार्यों के विवरण एवं व्यय की पंजी संधारित की जावे। प्लान्टेशन जनरल तैयार किया जाये एवं समय–समय पर फोटोग्राफ लेकर चस्पा किये जावें।
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपरान्त कार्यों की मध्यावधि समीक्षा की जावे तथा आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित उपचार पर पुनर्विचार किया जावे।
4. वन समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।
5. वन कर्मचारियों को नामजद जिम्मेदार बनाया जावे।
6. कार्यरत श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
7. बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाए। स्वीकृत बजट राशि से अधिक व्यय कदापि न करें। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन अनुसार ही व्यय किया जाकर आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट संशोधित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाये।
8. कय भण्डार नियमों के अनुसार किया जावे। सामग्रियों हेतु वित्तीय सक्षमता अनुसार स्वीकृति जारी की जाय एवं वरिष्ठ कार्यालय से यदिं स्वीकृति प्राप्त की जाना हो तो तत्काल पूर्ण औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।
9. समय–समय पर मुख्यालय के निर्देशानुसार व्यय की मासिक जानकारी, प्राप्त राशियों का लेखा संधारण / मूल्यांकन आदि बावत् प्रतिवेदन (मासिक / त्रैमासिक आदि) समय पर भेजना सुनिश्चित करें।
10. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक / 558 दिनांक 10–6–2020 के निर्देशानुसार 4–4 हैक्टेयर के प्लाट डाले जाये तथा प्रति प्लाट कितने गड्डे खोदे गये है, प्लांटेशन जनरल तथा मेजरमेंट बुक में अंकित किये जाये।

(डी.के. पालीवाल)
मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी
31.8

पृ.कमांक/कैम्पा./2021/3330 शिवपुरी, दिनांक 1-9 -2021

प्रतिलिपि :

1. महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर निवेदन है कि कार्यालयीन पत्र कमांक/3327 दिनांक 1-9-2021 से चाहे गये उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रत्याशा में तकनीकी स्वीकृति जारी की जा रही है।
3. वनमंडलाधिकारी शिवपुरी की ओर उनके पत्र कमांक/व्यय/4415 दिनांक 17-8-2021 के संदर्भ में उक्त अनुमोदित प्रोजेक्टों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
शिवपुरी वृत्त, शिवपुरी

31.8

D:\01-01-2021\TP\CAMPA ORDER\Order-2.doc